मध्य रेल CENTRAL RAILWAY



No. NGP/SFT. 101.Z/Safety Instns. /11

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय संरक्षां विभाग, नागपुर

DRM OFFICE SAFETY BRANCH, NAGPUR

Date: 26 th Sept, 2024

All Concerned, Nagpur Division,

SAFETY INSTRUCTION NO: - 11/2024-2025

Sub: - Joint Inspection of Hand Points Ref- L. No -SFT/1/2024 dt 18.09.24 issued by PCSO, CR.

In reference to the above, instructions for joint inspections of Hand Points to be done by SSE (P. Way) & Sectional TI/CYM are as under-

A. Schedule of the joint inspection: -

All hand points shall be jointly inspected once every quarter by SSE/JE (P. Way) and sectional TI/CYM

B. Record of joint inspection:

Observations of the joint inspection carried out by SSE/SE/JE (P. Way) and TI should be recorded in a register. This register will be nominated as Hand Point Inspection Register & is to be kept in the Dy.SM/YM/CYM's office so that it is readily available for inspection

A standard proforma to be adopted for the register.

C. Observations during these joint inspections: -

During these joint inspections, functional test to be done to check for proper working of Hand points. Following aspects should be observed and any defects and deficiencies shall be recorded in the register of joint inspections maintained at the station/yard for this purpose.

- Condition of Switch.
- 2. Condition of drainage.
- 3. Throw of switches.
- 4. Condition of packing of sleepers.

- 5. Condition of sleepers & Fittings.
- 6. Condition of locking arrangements for hand points.
- 7. Gap in point after set & locked if any.
- 8. Availability of ballast.
- 9. Condition of crossing & check rail gap measurement.
- 10. Any other relevant P. Way item affecting efficient functioning of hand Points format for recording the above points is attached with this letter.

Format for recording the above points is attached below.

D. Rectification of defects & Preventive maintenance: -

A gang of P. Way to be available during inspection and all defects and deficiencies noted to be rectified on priority so as to ensure operational safety.

E. <u>Periodical Reporting</u>: - SSE/SE (P. Way) In charge will submit this report to ADEN who after test checking the same shall forward to divisional officers giving details of the points inspected during the period and the action taken to rectify the defects noticed during the joint inspection.

F. GENERAL: -

Relevant Para 429 of IRPWM 2020 shall be followed strictly in regard to maintenance of hand points accordingly.

Format for Joint Inspection of Hand Points

Station	12	Hand Point No
Line No		Date of Inspection

Sr.	Items	Remarks	Signature	Date of
No.	*		-	compliance
	*			with . :
				signature
			PWI TI	

1.	Condition of Switch				
2.	Condition of packing of sleepers				
3.	Condition of drainage			•	
4.	Throw of switches		•		
5.	Condition of sleepers & Fittings				
6.	Condition of locking arrangements for hand points.				
7.	.Gap in point after set & locked.	r			
8.	Availability of ballast.				
9.	Condition of crossing & check rail gap measurement				
10.	Any other defect			•	

Note- The content here in above in no way supersede any rule book of Central Railway or Circulars, JPO etc. of Railway Boards/Headquarters or Division. In case of any doubt/dispute concerned rulebooks should be referred.

(Kshitij Wadmare) Sr. DSO,Nagpur

C/- DRM: For kind information please.

C/-. ADRM (Admin): For kind information please.

C/- ADRM (Tech): For kind information please.

मध्य रेल CENTRAL RAILWAY



No. NGP/SFT. 101.Z/Safety Instns. /11

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय संरक्षा विभाग नागपुर

DRM OFFICE SAFETY BRANCH, NAGPUR तारीख: 26 th Sept, 2024

सर्व संबंधित, नागपुर मंडल,

संरक्षा अनुदेश सं - 11/2024-2025

विषय:- हैंड पॉइंट्स का संयुक्त निरीक्षण।

संदर्भ-पीसीएसओ, सी.आर द्वारा जारी किया गया पत्र संख्या-एसएफटी/1/2024 दिनांक18.09.24.

उपर्युक्त के संदर्भ में, एसएसई (पी. वे) और अनुभागीय टीआई/सीवाईएम द्वारा किए जोने वाले हैंड पॉइंट्स के संयुक्त निरीक्षण के निर्देश निम्नानुसार हैं-

ए. संयुक्त निरीक्षण की अनुसूची: -

एसएसई/जेई (पी. वे) और अनुभागीय टीआई/सीवाईएम द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बार सभी हैंड पॉइंट्स का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

बी. संयुक्त निरीक्षण का रिकॉर्ड:

एसएसई/एसई/जेई (पी. वे) और टीआई द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के अवलोकन को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर को हैंड पॉइंट निरीक्षण रजिस्टर के रूप में नामित किया जाएगा और इसे डिप्टी. एस एस/वाई एम/सी.वाई एम के कार्यालय में रखा जाना चाहिए ताकि यह निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। रजिस्टर के लिए एक मानक प्रोफार्मा अपनाया जाना चाहिए।

सी. इन संयुक्त निरीक्षणों के दौरान अवलोकन: -

इन संयुक्त निरीक्षणों के दौरान, हैंड पॉइंट्स के उचित कामकाज की जांच के लिए कार्यात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और किसी भी दोष या कमी को इस उद्देश्य के लिए स्टेशन/यार्ड में बनाए गए संयुक्त निरीक्षण के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

1. स्विच की स्थिति।

- 2. जल निकासी की स्थिति।
- 3. स्विच का थी।
- 4. स्लीपरों की पैकिंग की स्थिति।
- 5. स्लीपरों और फिटिंग की स्थिति।
- 6. हैंड पॉइंट्स के लिए लॉकिंग व्यवस्था की स्थिति।
- 7. सेट और लॉक होने के बाद पॉइंट में गैप, यदि कोई हो।
- 8. गिट्टी की उपलब्धता।
- 9. क्रॉसिंग की स्थिति और चेक रेल गैप की माप जांच।
- 10. हैंड पॉइंट्स के कुशल कामकाज को प्रभावित करने वाला कोई अन्य प्रासंगिक पी.वे आइटम।

उपर्युक्त बिंदुओं को दर्ज करने के लिए प्रारूप इस के साथ संलग्न है।

डी. दोषों का सुधार और निवारक रखरखाव: -

निरीक्षण के दौरान पी.वे का एक गैंग उपलब्ध होना चाहिए और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोट किए गए सभी दोषों और कमियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाना चाहिए।

ई. आवधिक रिपोर्टिंग: -

एसएसई/एसई (पी.वे) प्रभारी यह रिपोर्ट एडीईएन को प्रस्तुत करेंगे, जो परीक्षण जांच के बाद इसे डिवीजनल अधिकारियों को भेजेंगे, जिसमें अविध के दौरान निरीक्षण किए गए बिंदुओं का विवरण और संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई शामिल होगी।

एफं. सामान्य: -

तदनुसार हैंड प्वाइंटों के रखरखाव के संबंध में आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के प्रासंगिक पैरा 429 का सख्ती से पालन किया जाएगा।

Format for Joint Inspection of Hand Points

Station	Hand Point No
Line No	Date of Inspection

Sr. No.	Items	Remarks	Signature		Date of compliance with signature	
	8		PWI	TI		
1.	Condition of Switch			•		
2.	Condition of packing of sleepers		1			
3.	Condition of drainage	•				
4.	Throw of switches					
5.	Condition of sleepers *& Fittings					
6.	Condition of locking arrangements for hand points.					
7.	Gap in point after set & locked.					
8.	Availability of ballast.					
9.	Condition of crossing & check rail gap measurement					
10.	Any other defect	•				

टिप्पणी - ऊपर दी गई जानकारी किसी भी तरह से मध्य रेलवे की किसी नियम पुस्तिका या रेलवे बोर्ड/मुख्यालय या मंडल के परिपत्रों, जेपिओ आदि का अधिक्रमण नहीं करती है। किसी भी संदेह/विवाद के मामले में संबंधित नियम पुस्तिकाओं को संदर्भित किया जाना चाहिए।

(क्षितीज बंडमारे) वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी मध्य रेल, नागपुर

प्रतिलिपी : मंडल रेल प्रबंधक : कृपया सूचनार्थ सादर प्रेषित।

प्रतिलिपी: अपर मंडल रेल प्रबंधक (प्रशाशन): कृपया सादर सूचनार्थ। प्रतिलिपी: अपर मंडल रेल प्रबंधक (तकनिकी): कृपया सादर सूचनार्थ।